स्थापना वर्ष – 1969

जी० डी० बिनानी पोस्ट ग्रैजुएट कालेज

मीरजापुर

प्रवेश विवरणिका

सत्र – 2024–2025

www.gdbinanipgcollege.com ● E-mail : gdbinanipgcollegemzp@gmail.com ● दूरभाष– 05442–20171

युग पुरूष **सेठ गोवर्द्धन दास बिनानी**
बिनानी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राणधार
1907–1965

महाविद्यालय के संस्थापक
सेठ घनश्याम दास बिनानी
1932–1998

प्रवेश समिति-2024–2025

1.	प्रो0 वीना सिंह	संरक्षक
2.	डॉ0 राज मोहन शर्मा	संयोजक
3.	डॉ0 ऋषभ कुमार	सदस्य
4.	डॉ0 अमित कुमार सिंह	सदस्य
5.	डॉ0 अखिलेश नारायण मिश्रा	सदस्य
6.	श्री वशीम अकरम अंसारी	सदस्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सर्वप्रथम संकाय का चयन और उसके पश्चात निर्धारित विषयों का चयन करना होगा।

स्नातक स्तर पर प्रवेशार्थी कला, भाषा अथवा वाणिज्य के अन्तर्गत निर्मित विभिन्न संकायों में से किसी एक का चयन करेगा । चयनित संकाय से प्रवेशार्थी दो मुख्य विषयों का चयन करेगा । तीसरे मुख्य विषय का चयन विद्यार्थी अपने चुने हुए संकाय या अन्य किसी भी संकाय से महाविद्यालय की शर्तो के अधीन कर सकता है । तीन मुख्य विषयों के चयन के पश्चात माइनर (गौण) प्रश्न पत्र का चयन काउंसलिंग के समय करना होगा। वाणिज्य संकाय का चयन करने वाले विद्यार्थी मुख्य विषय के रूप में वाणिज्य का ही अध्ययन करेंगे।

1. <u>भाषा संकाय</u> –

1. अंगेजी 2. हिन्दी 3. संस्कृत

2. <u>कला, मानविकी व सामाजिक विज्ञान संकाय</u> –

1. प्राचीन इतिहास 2. अर्थशास्त्र 3. भूगोल 4. इतिहास 5. समाजशास्त्र
6. मनोविज्ञान 7. राजनीति शास्त्र 8. शिक्षाशास्त्र 9. शारीरिक शिक्षा

3. <u>वाणिज्य संकाय</u> –

नोटः –

प्रवेशार्थी को कुल दो विषयों के उपलब्ध विषय समूह का चयन प्रवेश के पूर्व ही भली–भाँति सोच समझकर निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ करना चाहिए :–

1– तीन साहित्यक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत) में दो से अधिक विषयों का चयन नहीं किया जा सकता ।

2– प्रयोगात्मक विषयों (भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र) में से अधिकतम् दो विषयों का ही चयन किया जा सकता है।

3– विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार भूगोल/इतिहास/प्राचीन इतिहास में से किसी एक विषय का ही चयन किया जा सकता है ।

मुख्य विषय का चयन मेरिट/प्रवेश के अनुसार होगा।

नोट- प्रवेश हेतु छात्र/छात्राओं को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना अनिवार्य है।

आवश्यक निर्देश- (1) उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार महाविद्यालय परिसर में पान, गुटखा खाकर आना दण्डनीय अपराध है तथा परिसर में पान आदि खाकर थूकने पर 500/– रूपये जुर्माना देय होगा।

(2) कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुये बिना मास्क के महाविद्यालय में प्रवेश निषेध है।

प्रो० राज मोहन शर्मा
संयोजक प्रवेश समिति

डॉ० वीना सिंह
प्राचार्य

प्राचार्य का संदेश

सम्मानित बन्धुओं,

हमारा महाविद्यालय जी.डी. बिनानी पी.जी. कालेज मीरजापुर, पूर्वाचंल ही नहीं वरन उत्तर भारत का एक लब्ध प्रतिष्ठ शैक्षणिक संस्थान है। महाविद्यालय अपने गुणवत्तापरक शिक्षा अनुशासन एवं सुयोग्य प्राध्यापकों हेतु विशेष रूप से प्रसिद्ध है । सम्मानित संस्थान जगत्जननी माँ विन्ध्यवासिनी के उपत्यका के संरक्षण में स्थित है । महाविद्यालय परिसर अपने भौगोलिक संरचना एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से किसी भी आगन्तुक को अभिभूत कर देता है। माता जगत जननी का आशीर्वाद एवं आध्यात्मिक स्नेह सदैव महाविद्यालय पर बना रहता है । अतिशय विनम्रता के साथ मुझे यह कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज ने मुझे प्रथम महिला प्राध्यापिका को इस महाविद्यालय का प्राचार्य नियुक्त कर गुरूतर दायित्व प्रदान किया है । सम्मानित प्रबन्धकारिणी समिति के समय–समय पर सहयोग की भी मै हृदय की गहराईयों से आभार प्रकट करती हूँ। ऐसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय का प्राचार्य होना मेरे लिये गौरव की बात है । मेरा अनवरत् प्रयत्न होगा कि मैं इस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्यों के बताये हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए महाविद्यालय को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र की उन्नति की मुख्य धारा में जोड़ सकूँ। हमारे महाविद्यालय का आदर्श सूत्र कठोपनिषद् का श्लोक ''उतिष्ठित जाग्रत'' है, जिसका तात्पर्य है ''उठो और जागो ।'' हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को जागृत करना एवं उनकी योग्यता को पहचान कर उनको उच्चतम लक्ष्य की ओर अग्रसर करना है ।

छात्र–छात्रायें किसी भी महाविद्यालय के प्राण होते हैं तथा साथ ही ये हमारी धरोहर एवं भविष्य भी हैं । अतएव् उनके विकास एवं कल्याण के लिये हम सतत् प्रयत्नशील रहेंगे ।

आदरणीय अभिभावक यदि आप चाहते हैं कि आपका पाल्य शिक्षित होकर एक अच्छा नागरिक बन सके तो आपको अपने पाल्य की गतिविधियों पर सतर्क होकर ध्यान देना होगा ।

आप कृपया अपने पाल्य को कक्षा में नियमित आने के लिये प्रोत्साहित करें जिससे वह परीक्षा में बैठने के लिये 75% उपस्थिति प्राप्त कर सके साथ ही यह भी पता लगाते रहें कि वह पैसे एवं समय का सदुपयोग कर रहा है या नहीं ?

यदि आप कष्ट उठाने को तैयार हैं तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका पाल्य एक श्रेष्ठ विद्धान एवं सार्थक नागरिक बनेगा ।

इस कार्य में हमें अपने सहकर्मियों के साथ साथ अभिभावकों के सहयोग की भी आवश्यकता रहेगी। आप सभी के सहयोग एवं सुझाव की प्रतीक्षा होगी ।

शुभास्तु ते पंथाः (आपके मार्ग शुभ हों)

प्रो० वीना सिंह
प्राचार्य

नियमावली

1. 2022, 2023 और 2024 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र/छात्रा ही प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(i) 2024 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों/छात्राओं का प्रवेश इण्टरमीडिएट के प्राप्त अंकों को शामिल करते हुए मेरिट तैयार की जायेगी।

(ii) 2023 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों/छात्राओं का प्रवेश इण्टरमीडिएट के प्राप्त अंको में से 5% अंकों की कटौती करते हुए मेरिट तैयार की जायेगी।

(iii) 2022 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों/छात्राओं का प्रवेश इण्टरमीडिएट के प्राप्त अंकों में से 10% अंकों की कटौती करते हुए मेरिट तैयार की जायेगी।

2. ऑनलाइन फार्म दिनांक 15 मई 2024 से 20 जुलाई 2024 तक भरे जायेंगे।

3. ऑनलाइन आवेदन में की गई सभी प्रविष्टियों की जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की होगी।

4. ऑनलाइन भरा हुआ आवेदन पत्र एवं जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

5. ऑनलाइन फार्म भरते समय जाति प्रमाण-पत्र सं0 का अंकन सही-सही करें क्योंकि इसका मिलान प्रवेश के समय किया जायेगा।

6. प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश सूची प्रकाशन के बाद प्रारम्भ होगी।

7. आवेदन पत्र जमा करते समय छात्र/छात्रा इण्टरमीडिएट के अंकपत्र की एक छायाप्रति एवं जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा भारांक हेतु अन्य प्रमाण पत्र संलग्न करें, अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। 10% सीटें आर्थिक कमजोर वर्ग के लिये आरक्षित हैं। EWS का प्रमाण पत्र संलग्न रहने पर ही लाभ देय होगा।

8. <u>प्रवेश के समय सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की मूल अंक तालिका, टी.सी., चरित्र प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।</u>

9. उत्तर प्रदेश शासनादेशानुसार ही प्रवेश का कार्य किया जायेगा। आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

नोट :-

1. अभ्यर्थी अपना प्रवेश फार्म स्वयं भरें।

2. यदि किसी अभ्यर्थी को उपरोक्त मदों में 25 से अधिक अंक प्राप्त होते है तो उसे मात्र 25 अंक का ही लाभ दिया जायेगा और इससे अधिक का नहीं।

3. जो अभ्यर्थी इनका भारांक प्राप्त करना चाहते हो तो वे सम्बन्धित भारांक के प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

4. कला संकाय में प्रवेश के समय छात्र/छात्रा इस बात को अवश्य देख लें कि उनकी रसीद पर आवंटित विषय अंकित हैं कि नहीं ?

5. मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किसी अनुभाग (Section) में किसी भी दशा में 80 से अधिक प्रवेश नहीं किया जायेगा। विभिन्न विषयों में सीटों की संख्या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है।

6. योग्यता प्रदायी फार्म के साथ आरक्षण सम्बन्धी समस्त पत्रजात संलग्न होने की स्थिति में ही आरक्षण का लाभ देय होगा। आरक्षण सम्बन्धी पत्रजात योग्यता प्रदायी फार्म के साथ यदि संलग्न नहीं होगा, तो आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। योग्यता प्रदायी फार्म पर संलग्नकों का विवरण अवश्य अंकित करें। योग्यता प्रदायी फार्म जमा करने के पश्चात् किसी भी प्रकार का पत्रजात संशोधन अथवा संलग्नक स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. योग्यता प्रदायी फार्म की प्राप्ति रसीद पर भी संलग्नकों के विवरण का उल्लेख करें।

लेने के लिये शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

3. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित खेलकूद प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी :-

1. नेशनल कैडेट कोर में (सी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरूष अभ्यर्थी तथा जी-2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को 15 अंक या
2. नेशनल कैडेट कोर में (बी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरूष अभ्यर्थी तथा जी-1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को 10 अंक या
3. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 1 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को 15 अंक या
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को 10 अंक या
5. स्काउट एवं गाइड्स अथवा रोवर्स/ रेन्जर्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को 15 अंक का
6. स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स निपुण अभ्यर्थी का 10 अंक या
7. स्काउट एवं गाइड्स का गुरूपद अथवा रोवर्स/रेन्जर्स तृतीय सोपान में प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को 05 अंक प्रदान किया जायेगा।

आरक्षण संवर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के लिए क्रमशः 21, 02 तथा 27 प्रतिशत स्थान (कुल 50 प्रतिशत) आरक्षित है। विकलांग अभ्यर्थियों की सभी श्रेणियों (दृष्टिहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास एवं पालन निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात) के लिये पृथक-पृथक एक प्रतिशत (1%) स्थान, कुल 03 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए कुल 02 प्रतिशत तथा सैनिक/भूतपूर्व सैनिक/जम्मू कश्मीर में तैनात सैनिक अथवा अर्द्धसैनिक आश्रित अथवा जम्मू कश्मीर से विस्थापित नागरिकों के आश्रितों के लिए कुल 05 प्रतिशत सीट सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। महाविद्यालय के स्थायी कर्मियों (शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक) के आश्रितों (यथा-पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री) के लिए 5-5 प्रतिशत स्थान कुल 10 प्रतिशत स्थान, सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित हैं। उक्त आरक्षण में प्राथमिकता का क्रम निम्नवत् होगा। सेवारत् पूर्णकालिक स्थायी अध्यापक एवं कर्मचारियों को प्रथम वरीयता, सेवाकाल के दौरान मृत पूर्णकालिक स्थायी अध्यापक एवं कर्मचारी को द्वितीय वरीयता तथा सेवानिवृत्त पूर्णकालिक स्थायी अध्यापक एवं कर्मचारी आश्रितों को तृतीय वरीयता दी जायेगी। अध्यापक आश्रित की सीट रिक्त रहने की स्थिति में कर्मचारी आश्रित से तथा कर्मचारी आश्रित की सीट रिक्त रहने की स्थिति में अध्यापक आश्रित कोटे से प्रवेश कर लिया जायेगा। संदर्भित आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक सिर्फ कार्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। महिला अभ्यर्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। महिलाओं के कुल आरक्षित सीट संख्या में से 02 प्रतिशत सीट विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित हैं।

आर्थिक कमजोर वर्ग का आरक्षण शासनादेश के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

10. वाणिज्य संकाय में केवल इण्टरमीडिएट वाणिज्य/अर्थशास्त्र/गणित के छात्रों का ही प्रवेश होगा। वाणिज्य संकाय के छात्रों के मेरिट का निर्धारण वाणिज्य के विषयों के अंकों के आधार पर किया जाएगा। कला संकाय से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र यदि बी.काम प्रथम वर्ष में प्रवेश लेते हैं तो इण्टरमीडिएट में अर्थशास्त्र विषय अनिवार्य है तथा अर्थशास्त्र के अंक को अवश्य जोड़ा जाएगा। विज्ञान वर्ग के छात्र यदि बी.काम प्रथम वर्ष में प्रवेश लेते हैं तो गणित संवर्ग के विषय के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा। विज्ञान बायो ग्रुप के छात्रो का प्रवेश बी.काम प्रथम वर्ष में नहीं होता है। इन विषयों के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी। अन्य विषय के छात्र आवेदन न करें।

11. बी0ए0 प्रथम वर्ष कुल सीटों की संख्या 660 एवं बी0 काम प्रथम वर्ष में सीटों की संख्या 240 विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है। इसके अतिरिक्त बी0ए0 प्रथम वर्ष में 66 सीटें, बी.काम प्रथम वर्ष में 24 सीटें आर्थिक कमजोर वर्ग के लिये हैं।

12. आवेदन पत्र जमा करते समय छात्र/छात्रा इण्टरमीडिएट के अंकपत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति (जाति प्रमाण पत्र की जमा रसीद को जाति प्रमाण पत्र का आधार नहीं माना जायेगा और इससे आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा) तथा भारांक हेतु अन्य प्रमाण पत्र के साथ ही विचार होगा।

13. <u>प्रवेश के समय सम्बन्धित छात्र/छात्राओं की हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट अंकतालिका, टी0सी0, चरित्र प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।</u>

14. छात्रवृत्ति हेतु बायोमेट्रिक सिस्टम पर 75% उपस्थिति अनिवार्य है। राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता नम्बर छात्रवृत्ति हेतु अनिवार्य है।

15. विश्वविद्यलाय के निर्देशानुसार वरीयता सूची के निर्धारण में <u>इण्टरमीडिएट के व्यवसायिक शिक्षा के प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक शामिल नहीं होगे।</u> व्यावसायिक शिक्षा के छात्र, यदि बी.काम. में प्रवेश चाहते हैं तो इण्टर में वाणिज्य का कोई प्रश्न-पत्र उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

16. छात्र/छात्रायें अपना आधार कार्ड का क्रमांक अवश्य अंकित करें। बिना आधार कार्ड के कोई भी सरकारी सुविधा देय नहीं होगी।

17. छात्रवृत्ति फार्म भरने वाले प्रत्येक छात्र कम्प्यूटराईज्ड आय प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र बनवा लें जिससे छात्रवृत्ति फार्म भरते समय कठिनाई का सामना न करना पड़े।

18. कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य है। महाविद्यालय में बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है।

19. दूरस्त शिक्षा को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक छात्र/छात्रा अपना E-mail एवम् WhatsApp नम्बर अवश्य अंकित करें।

20. कोविड-19 को दृष्टिगत बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। छात्र/छात्राऐं अपना काम स्वंय करें।

भारांक:- राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को - इन्डीविजुअल आइटम के अभ्यर्थी द्वारा - प्रथम स्थान आने पर 15 अंक, द्वितीय स्थान आने पर 10 अंक, तृतीय स्थान आने पर 05 अंक, टीम आईटम्स में- सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर 15 अंक, सर्वविजेता (रनर्स अप) टीम का सदस्य होने पर 10 अंक, प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर 05 अंक, किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्तर महाविद्यालय टूर्नामेन्ट या क्रीड़ा या खेलकूद प्रतियोगिताओं में - सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर 10 अंक, इण्डीविजुअली आइटम में प्रथम स्थान होने पर 10 अंक प्रदान किया जायेगा।

नोट:- 1. उपरोक्त 1,2 एवं 3 के अन्तर्गत आइटम्स में से केवल एक ही आइटम का लाभ दिया जायेगा अर्थात यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम अथवा आइटम में भाग लिया है तो उसे एक ही टीम/आइटम का लाभ देय होगा।

2. राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद अथवा क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग